संख्या- 12/2025/ 49-3099/82/2024-सहकारिता अनुभाग-3-
(I/ 1155730/2025)

प्रेषक,

अनिल कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

आयुक्त एवं निबन्धक,
सहकारिता, उ0प्र0,
लखनऊ।

सहकारिता अनुभाग-3 लखनऊ : दिनांक 27 नवम्बर, 2025

विषयः- सहकार से समृद्धि योजना का संचालन योजनान्तर्गत प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति निर्गत कराने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या -81/ लेखा-अ/2025-26/ आय-व्ययक, दिनांक 20.05.2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय- व्ययक में अनुदान संख्या- 18 के अधीन '' सहकार से समृद्धि योजना का संचालन '' योजनान्तर्गत प्रविधानित धनराशि रू0 1000.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय- व्ययक में अनुदान संख्या- 18 के अधीन '' सहकार से समृद्धि योजना का संचालन '' योजनान्तर्गत मुख्य लेखाशीर्ष ''2425-सहकारिता, 108-अन्य सहकारी समितियों को सहायता, 06-सहकार से समृद्धि योजना का संचालन, 20-सहायता-अनुदान सामान्य (गैर वेतन)'' में प्राविधानित धनराशि रू0 1000.00 लाख (रूपये दस करोड़ मात्र) के सापेक्ष प्रथम किश्त की धनराशि रूपये 250.00 लाख (रूपये दो करोड़ पचास लाख मात्र) की

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने की मा0 राज्यपाल निम्नलिखित नियमों/ शर्तों / प्रतिबंधों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं :-

<u>नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों-</u>

(1) आंकड़ों की शुद्धता एवं धानराशि की अनुमन्यता की पुष्टि का दायित्व आयुक्त एवं निबन्धक, सहकारिता उ0प्र0 लखनऊ का होगा।

(2) स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष राजकोष से उतनी ही धनराशि का आहरण किया जायेगा, जितनी धनराशि वास्तविक रूप से आवश्यक हो।

(3) प्राविधानित धनराशि का व्यय उसी मद में किया जाय जिसके लिए बजट प्राविधान किया गया है।

(4) प्राविधानित धनराशि का व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष में इस प्रकार किया जायेगा कि धनराशि का व्यावर्तन अन्य योजना/कार्यक्रम में न हो।

(5) प्राविधानित धनराशि का व्यय किये जाने में इसकी द्विरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो।

(6) इस सम्बन्ध में शासन के पत्र दिनांक 25.07.2025 द्वारा निर्गत दिशा- निर्देशों का शत - प्रतिशत अनुपालन का उत्तरदायित्व आयुक्त एवं निबन्धक, सहकारिता उ0प्र0, लखनऊ तथा प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 कोआपरेटिव यूनियन लि0, लाखनऊ (पी0सी0यू0) एवं प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य निर्माण सहकारी संघ लि0, लखनऊ (यू0पी0आर0एन0एस0एस0) का होगा।

(7) उक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि के संबंध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग- 1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या- 6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27 मार्च, 2025 व अन्य संगत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय धनराशि रूपये 250.00 लाख (रूपये दो करोड़ पचास लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-2026 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 18 के अधीन लेखाशीर्ष ''2425-सहकारिता, 108-अन्य सहकारी समितियों को सहायता, 06-सहकार से समृद्धि योजना का संचालन, 20-सहायता-अनुदान सामान्य (गैर वेतन)'' के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी- 1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27 मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

अनिल कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

<u>संख्या- (1)/49-3-2025, तद्दिनांक</u> ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/ द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
2) महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/ द्वितीय, उ0प्र0 लखनऊ/ प्रयागराज।
3) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन लखनऊ।
4) अपर आयुक्त एवं अपर निबन्धक(शिक्षा), सहकारिता उ0प्र0 लखनऊ।
5) निदेशक, आई0सी0सी0एम0आर0टी0, लखनऊ।
6)वित्त नियंत्रक, कार्यालय आयुक्त एवं निबन्धक, सहकारिता उ0प्र0 लखनऊ ।
7) वेब मास्टर, कार्यालय आयुक्त एवं निबन्धक, सहकारिता उ0प्र0 लखनऊ ।
8) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन ।
9) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
10) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव ।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।